

भारत गणराज्य की सरकार  
और फ्रांस गणराज्य की सरकार  
के बीच  
सामाजिक सुरक्षा  
संबंधी  
करार

भारत गणराज्य की सरकार

और

फ्रांस गणराज्य की सरकार

जिन्हें अब के बाद संविदकारी राज्य कहा जाएगा;

ने दोनों देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी संबंध बनाने की इच्छा करते हुए इस प्रयोजन के लिए एक करार संपन्न करने का निर्णय लिया और निम्नलिखित अनुसार सहमत हुई।

भाग 1

सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

1. इस करार के कार्यान्वयन के लिए
- क) 'फ्रांस' का अर्थ है: फ्रांस गणराज्य, 'भारत' का अर्थ है भारत गणराज्य।
- ख) 'विधान' का अर्थ है: -
- अनुच्छेद 7 को लागू करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों में लागू संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा विधान,
  - अनुच्छेद 8 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 2 में उल्लिखित विधान और विनियम।
- ग) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है:
- फ्रांस के संबंध में: मंत्रीगण, प्रत्येक उस सीमा तक कि वह अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 क) में उल्लिखित विधान के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है,
- भारत के संबंध में : प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री।
- घ) 'सक्षम अभिकरण' का अर्थ है:
- फ्रांस के संबंध में: अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 क) में उल्लिखित विधान के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः अथवा अंशतः उत्तरदायी संस्था, संगठन अथवा प्राधिकरण।
- भारत के संबंध में: अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 ख) में उल्लिखित विधान के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन।
- ड) 'संपर्क अभिकरण' का अर्थ है प्रशासनिक प्रबंध के अंतर्गत उल्लिखित अभिकरण।
- च) 'बीमा अवधि' का अर्थ है विधान, जिसके अंतर्गत वह अवधि पूरी की गई हो, में मानी गई अंशदानों अथवा बीमा की कोई अवधि, के साथ-साथ उस विधान के अंतर्गत अंशदान अथवा बीमा की अवधि के समान मानी गई कोई अवधि।

- छ) 'लाभ' का अर्थ है अनुच्छेद 2 में उल्लिखित विधान के अंतर्गत अनुमेय कोई पेंशन अथवा नकद लाभ, जिसमें कोई पूरकताएं अथवा वृद्धिया शामिल हैं।
- ज) 'आवास' का अर्थ है रिहाइशी का आवास।
- झ) 'सीमा' का अर्थ है
1. फ्रांस के संबंध में: फ्रांस गणराज्य के शहरीकृत और प्रवासी जिलों के भौगोलिक क्षेत्र, जिनमें सीमावर्ती समुद्र, के साथ-साथ संपूर्ण आर्थिक जोन, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार फ्रांस गणराज्य का प्रभुसत्ता अधिकार है।
- भारत के संबंध में: भारत गणराज्य के भौगोलिक क्षेत्र, जिनमें सीमावर्ती समुद्र, के साथ-साथ संपूर्ण आर्थिक जोन, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार भारत गणराज्य का प्रभुसत्ता अधिकार है।
2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में परिभाषित नहीं किया गया किसी विषय का अर्थ वही होगा जो लागू विधान के अनुसार दिया गया हो।

## अनुच्छेद 2

### विधिक कार्यक्षेत्र

1. यह करार:
  - क) फ्रांस के संबंध में,
    - क) जहां तक पेंशन और बीमाओं की अमान्यता का संबंध है, नीचे दर्शाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सामान्य संगठन को निर्धारित करने वाले विधान पर,
    - ख) निम्नलिखित से संबंधित विधान पर
      - (i) वृद्धावस्था पेंशन जिसमें उत्तरजीवी पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जो निम्नलिखित पर लागू होती हैं:
        - गैर कृषिगत व्यावसायिक क्षेत्र में नियोजित व्यक्ति,
        - कृषिगत व्यावसायिक क्षेत्र में नियोजित व्यक्ति,

- पूरक पेंशन योजनाओं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर गैर कृषिगत व्यावसायिक क्षेत्र में स्व:नियोजित व्यक्ति,
- कृषिगत व्यावसायिक क्षेत्र में स्व:नियोजित व्यक्ति,
- विशेष योजनाओं द्वारा कवर किए गए नियोजित व्यक्ति, बशर्ते कि उनका इस करार में अन्यत्र उल्लेख न हो,

(ii) उपरोक्त उप पैराग्राफ i) में उल्लिखित व्यक्तियों पर अमान्य बीमा, जिसमें उत्तरजीवी पेंशन शामिल है,

पर लागू होगा।

ख) भारत के संबंध में, निम्नलिखित से संबंधित सभी विधानों पर लागू होगा:

- (i) नियोजित व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन,
- (ii) नियोजित व्यक्तियों के लिए स्थायी पूर्ण विकलांगता पेंशन।

2 क) यह करार उन सभी विधानों पर भी लागू होगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित विधान में संशोधन अथवा विस्तार करेंगे।

ख) यह उस किसी विधान पर लागू होगा जो लाभार्थियों की नई श्रेणियों की विद्यमान योजनाओं को शामिल करेगा, जहां तक कि इस संबंध में संविदाकारी राज्य, जिसने अपने विधान में संशोधन न किया हो, उक्त विधान के सरकारी प्रकाशन के छह माह के भीतर लाभार्थियों की ऐसी नई श्रेणियों को शामिल करने पर अन्य संविदाकारी राज्य की आपत्तियों को अधिसूचित न करें।

ग) यह करार उन विधानों पर लागू नहीं होगा जो एक नई सामाजिक सुरक्षा शाखा स्थापित करते हैं, बशर्ते कि संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इनके लागू होने पर सहमत हों।

### अनुच्छेद 3

#### वैयक्तिक कार्यक्षेत्र

बशर्ते अन्यत्र उल्लिखित न हो, यह करार उन सभी व्यक्तियों पर, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी के विधान के अंतर्गत हैं अथवा रहे हैं, और अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति से अधिकार प्राप्त करते हैं, पर लागू होगा।

## अनुच्छेद 4

### व्यवहार की समानता

बशर्ते इस करार में अन्यत्र प्रावधान न हो, अनुच्छेद 3 में उल्लिखित व्यक्तियों, जो सामान्य रूप से एक संविदाकारी राज्य की सीमा में रहते हैं, को अनुच्छेद 1 (ख) पहले डैश में यथा परिभाषित उस संविदाकारी राज्य के विधान के लागू होने में उस संविदाकारी राज्य के नागरिकों के साथ समान व्यवहार मिलेगा।

## अनुच्छेद 5

### लाभों का निर्यात

बशर्ते इस करार में अन्यत्र उल्लेख न हो, एक संविदाकारी राज्य केवल इस आधार पर कि लाभार्थी अन्य संविदाकारी राज्य की सीमा में रूकता है अथवा रहता है, अपने विधान के अंतर्गत प्राप्त लाभों को कम अथवा संशोधित नहीं करेगा। यह प्रावधान गैर अंशदायी लाभों पर लागू नहीं होगा जो उनके भुगतान के लिए उत्तरदायी संविदाकारी राज्य की सीमा में ही दिये जाते हैं।

2. फ्रांस विधान के अनुसार तीसरे राज्य की सीमा में रहने वाले भारतीय नागरिकों को देय वृद्धावस्था, उत्तरजीवी और अवैधता लाभों का भुगतान उन्हीं शर्तों के अंतर्गत किया जाता है जैसे कि वे ऐसे तीसरे राज्य की सीमा में रहने वाले फ्रांस नागरिक हों।

3. भारतीय विधान के अनुसार तीसरे राज्य की सीमा में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को देय वृद्धावस्था, उत्तरजीवी और अवैधता लाभों का भुगतान उन्हीं शर्तों के अंतर्गत किया जाता है जैसे कि वे ऐसे तीसरे राज्य की सीमा में रहने वाले भारतीय नागरिक हों।

## अनुच्छेद 6

### कम अथवा स्थगित करने की धाराएं

1. यदि सामाजिक सुरक्षा लाभों की पुनर्वावृत्ति हो रही हो अथवा यदि लाभ किसी प्रकार की अन्य आयों के संपाती हो, एक संविदाकारी राज्य के विधान में उपलब्ध कम अथवा स्थगित करने की धाराएं लाभार्थियों पर लागू होंगी, चाहे ये लाभ अन्य संविदाकारी राज्य की किसी योजना के तहत मिलते रहे हों अथवा आय अन्य संविदाकारी राज्य की सीमा में अर्जित की गई हो। तथापि, यह प्रावधान अनुच्छेद 12 के अनुसार गणना किए गए उसी प्रकार के लाभों पर लागू नहीं होगा।

2. यदि अवैध लाभों अथवा अनुमानित वृद्धावस्था लाभों के लाभार्थी की व्यावसायिक गतिविधि है, एक संविदाकारी राज्य के विधान में उपलब्ध कम अथवा स्थगित करने की धाराएं लागू हो सकती हैं चाहे यह गतिविधि अन्य संविदाकारी राज्य की सीमा में की जाती है।

## भाग 2

### अनुमेय विधान से संबंधित प्रावधान

#### अनुच्छेद 7

##### सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद 8 से 10 के आधार पर, अनुमेय विधान निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है:

(क) एक व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य की सीमा में एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता है, उस रोजगार के संबंध में, केवल उस संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन होगा;

(ख) एक व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य की सीमा में एक स्व-नियोजित व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, उस कार्य के संबंध में, केवल उस संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन होगा;

(ग) एक व्यक्ति, जो एक उद्यम के यात्रादल का सदस्य है अथवा उड़ान दस्ते का कार्मिक है, जो किराये पर अथवा रिवाइड अथवा स्वयं अपनी ओर से यात्रियों अथवा सामान के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सेवाएं संचालित करता है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एक संविदाकारी राज्य की सीमा में है, उस संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन होगा;

(घ) एक व्यक्ति, जो ऐसे जहाज पर एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता है जिस पर एक संविदाकारी राज्य की ध्वजा लहराती है, उस राज्य के विधान के अधीन होगा।

#### अनुच्छेद 8

##### विशेष प्रावधान

1. एक व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य में एक नियोक्ता, जो सामान्य रूप से वहां अपनी गतिविधियां चलाता है, की ओर से एक नियोजित व्यक्ति के रूप में गतिविधि करता है और जो उस नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में तैनात कर दिया जाता है, फ्रांस के संबंध में अनुच्छेद 2 पैराग्राफ 1 क) ख (i) तथा भारत के संबंध में पैराग्राफ 1 ख) (i) में उल्लिखित विधान के संबंध में पहले संविदाकारी

राज्य के विधान के अधीन रहेगा और उसे दूसरे संविदाकारी राज्य की संगत योजनाओं के लिए अधिकतम 60 माह की अवधि के लिए भुगतान करने से छूट होगी।

2. इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 1 लागू होगा यदि एक व्यक्ति जिसे उसके नियोक्ता द्वारा एक संविदाकारी राज्य की सीमा से किसी तीसरे राज्य की सीमा में भेजा गया है, बाद में उस नियोक्ता द्वारा उसे उस तीसरे राज्य की सीमा से दूसरे संविदाकारी राज्य की सीमा में भेजा जाता है।

### अनुच्छेद 9

#### सिविल अधिकारी, राजनयिक मिशनों और कोन्सूलर पोस्टों के सदस्य

1. सिविल अधिकारी और समकक्ष कार्मिक और उनके परिवार के सदस्य, यदि वे किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हैं, उस संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन हैं जिनका प्रशासन उन्हें नियोजित करता है।

2. यह करार 18 अप्रैल, 1961 के राजनयिक संबंधों के बारे में वियना अभिसमय अथवा 24 अप्रैल, 1963 के कोन्सुलर संबंधों के बारे में वियना अभिसमय के प्रावधानों के लागू होने को प्रभावित नहीं करेगा।

### अनुच्छेद 10

#### अनुच्छेद 7 से 9 से छूट

कतिपय बीमित व्यक्तियों अथवा बीमित व्यक्तियों की कतिपय श्रेणियों के हित में सक्षम प्राधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित अभिकरण आपसी सहमति से अनुच्छेद 7 से 9 के प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि प्रभावित व्यक्ति संविदाकारी राज्यों में से एक के विधान के अधीन हों।

### भाग 3

#### लाम संबंधी प्रावधान

### अनुच्छेद 11

#### बीमा अवधियों का समूहन

1. जब दोनो संविदाकारी राज्यों के विधान के अंतर्गत बीमा अवधियां पूरी कर ली गई हों, प्रत्येक संविदाकारी राज्य का अभिकरण उस विधान जो इन पर लागू होता है, के अंतर्गत लाभों की पात्रता के निर्धारण में यदि आवश्यक हो, अन्य संविदाकारी राज्य

के विधान के अंतर्गत बीमा अवधियों की गणना करेगा, बशर्ते कि ऐसी बीमा अवधियों में इसके विधान के अंतर्गत बीमा अवधियों के साथ परस्पर व्यापन न हो।

2. यदि संविदाकारी राज्यों में से किसी का विधान इस शर्त पर कि बीमा अवधियों को एक विशेष योजना के अंतर्गत अथवा एक निर्धारित व्यवसाय अथवा कार्य के अंतर्गत पूरा किया जाना था, कतिपय वृद्धावस्था अथवा उत्तरजीवी लाभों को प्रदान करने में अधीनस्थ करता है, केवल बीमा अवधियों को इन लाभों की पात्रता प्रदान करने के लिए जोड़ा जाएगा जो अन्य संविदाकारी राज्य में समान योजना अथवा समान व्यवसाय में पूरी की गई हों।

3. राज्यों में से एक की विशेष योजना के अंतर्गत पूरी की गई बीमा अवधियों को लाभों के अधिकार की अधिप्राप्ति के लिए अन्य राज्य की सामान्य योजना के अंतर्गत गणना में शामिल किया जाता है। बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति उस योजना से जुड़ा हुआ हो चाहे ये अवधियाँ पैराग्राफ 2 में उल्लिखित एक योजना के अंतर्गत दूसरे राज्य द्वारा पहले ही गणना में शामिल कर ली गई थीं।

4. विशेष योजना लाभों की पात्रता के संबंध में पैराग्राफ 2 के प्रावधान सिविल और मिलिट्री स्टेट सिविल कर्मचारियों, स्थानीय सरकार के सिविल कर्मचारियों और राज्य औद्योगिक संयंत्रों में कामगारों के लिए फ्रॉस की विशेष योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। फिर भी सिविल और मिलिट्री स्टेट सिविल कर्मचारियों, स्थानीय सरकार के सिविल कर्मचारियों और राज्य औद्योगिक संयंत्रों में कामगारों के लिए फ्रॉस की विशेष योजनाओं की पेंशन दर निर्धारित करने के लिए जब एक अथवा अधिक अन्य बुनियादी और अनिवार्य सेवा निवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पूरी की गई बीमा अवधि की गणना करनी हो, भारतीय विधान के अनुसरण में पूरी की गई बीमा अवधियों को गणना में शामिल किया जाएगा।

5. बीमा अवधियों के समायोजन और लाभों की पात्रता के निर्धारण और गणना से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए तीसरे राज्यों, जिनके साथ दोनों संविदाकारी राज्यों के सामाजिक सुरक्षा करार हैं, में व्यतीत की गई अवधियों को गणना में शामिल किया जाएगा।

## अनुच्छेद 12

### वृद्धावस्था, उत्तरजीवी और अवैधता लाभों की गणना

1. यदि कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के विधान के अंतर्गत अन्य संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन पूरी की गई बीमा अवधियों की गणना किए बिना किसी लाभ का पात्र है, तो पहले संविदाकारी राज्य का अभिकरण पूर्णतः इसके विधान के अंतर्गत पूरी की गई बीमा अवधियों के आधार पर लाभों का निर्धारण करेगा।

2. वह अभिकरण पैराग्राफ 3 (क) और (ख) में उल्लिखित नियमों को लागू करते हुए लाभों की राशि की गणना भी करेगा। दोनों राशियों में से केवल अधिक वाली राशि पर विचार किया जाएगा।

3. यदि एक संविदाकारी राज्य के विधान के अंतर्गत अन्य संविदाकारी राज्य अथवा, यदि आवश्यक हो, अनुच्छेद 11 के आशय के अधीन तीसरे राज्य के विधान के अंतर्गत पूरी की गई बीमा अवधियों के संबंध में लाभों का अधिकार अर्जित किया जा सकता है, तब पहले संविदाकारी राज्य का अभिकरण:

(क) लाभ की सैद्धांतिक राशि की गणना करेगा जिसका दावा किया जा सकता है जैसे कि यदि पूरी बीमा अवधियां इसके विधान के अंतर्गत पूरी की गई थीं, और

(ख) इसके पश्चात उप पैराग्राफ (क) के अनुसरण में गणना की गई सैद्धांतिक राशि के आधार पर कुल बीमा अवधियों को इसके विधान के अंतर्गत पूरी की गई बीमा अवधियों के कार्यकाल के अनुपात को लागू करके देय लाभ की राशि निर्धारित करेगा। कुल कार्यकाल एक अधिकतम अवधि, एक पूर्ण दर लाभ की पात्रता के लिए उस संविदाकारी राज्य द्वारा लागू विधान द्वारा अपेक्षित, सीमा, यदि कोई हो, तक सीमित रहेगा।

### अनुच्छेद 13

#### एक वर्ष से कम की अवधियां

1. यदि संविदाकारी राज्यों में से एक के विधान के अंतर्गत पूरी की गई बीमा अवधियों का कुल कार्यकाल एक वर्ष से कम है, इस राज्य की संबंधित संस्था को पेंशन निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 11 और 12 में दिए गए समायोजन की प्रक्रिया का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी इस विधान के अंतर्गत यदि एक पेंशन के लिए केवल ये अवधियां पर्याप्त हैं तो इसी आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अवधियां अनुच्छेद 11 और 12 के प्रावधानों के अनुसरण में अन्य संविदाकारी राज्य के विधान के अंतर्गत पेंशन के अधिकार की पात्रता और गणना के लिए मद्देनजर रखा जाएगा।

3. उपरोक्त पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद यदि दोनों संविदाकारी राज्यों में पूरी की गई बीमा अवधियां एक वर्ष से कम हैं तो अनुच्छेद 11 और 12 के अनुसार समग्र अवधि एक वर्ष होगी यदि जोड़ करने पर दावेदार एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के विधान के अंतर्गत लाभों का पात्र है।

## अनुच्छेद 14

### लाभों का संशोधन

1 यदि रहन-सहन की लागत बढ़ने, मजदूरी स्तरों में उतार-चढ़ाव अथवा अन्य धाराओं के अपनाए जाने के कारण किसी भी संविदाकारी राज्य के वृद्धावस्था, उत्तरजीवी, अवैधता अथवा विकलांगता लाभ एक निर्धारित प्रतिशत अथवा राशि से बदलते हैं, वह प्रतिशत अथवा राशि अन्य संविदाकारी राज्य द्वारा वृद्धावस्था, उत्तरजीवी, अवैधता अथवा विकलांगता लाभों की नई गणना की कार्रवाई किए बिना उस संविदाकारी राज्य के वृद्धावस्था, उत्तरजीवी, अवैधता अथवा विकलांगता लाभों पर सीधे ही लागू होगी।

2. दूसरी ओर वृद्धावस्था, उत्तरजीवी, अवैधता अथवा विकलांगता लाभों की स्थापना के संबंध में नियमों अथवा गणना प्रक्रिया में संशोधन के मामले में अनुच्छेद 11 और 12 के अनुसार नई गणना की जाएगी।

## अनुच्छेद 15

### परिवार लाभ

करार के अनुच्छेद 8 में उल्लिखित कामगार उस राज्य जहां उनकी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, की सीमा में उस राज्य के विधान के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई शर्तों के अधीन दिए गए परिवार लाभ के पात्र होंगे।

## भाग 4

### विविध प्रावधान

## अनुच्छेद 16

### सक्षम प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व

सक्षम प्राधिकारी:

- (क) एक प्रशासनिक प्रबंध के साधनों द्वारा इस करार के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित उपाय करेंगे जिनमें बीमा अवधियों की गणना करने से संबंधित उपाय शामिल हैं, और संपर्क अभिकरणों तथा सक्षम अभिकरणों को नामित करेंगे,
- (ख) परस्पर प्रशासनिक सहायता के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित करेंगे जिनमें इस करार के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित चिकित्सीय, प्रशासनिक और अन्य साक्ष्य प्राप्त करने से जुड़े खर्चों को बांटना शामिल है,

- (ग) इस करार को लागू करने के लिए किए गए उपायों से संबंधित किसी सूचना को एक दूसरे को सीधे ही संचारित करेंगे;
- (घ) अपने विधान में सभी परिवर्तनों को, जहां तक कि ये परिवर्तन इस करार को लागू करने में प्रभावित कर सकते हों, यथाशीघ्र एक दूसरे को सीधे ही संचारित करेंगे।

### अनुच्छेद 17

#### प्रशासनिक सहयोग

1. इस करार के कार्यान्वयन के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी और साथ ही सक्षम अभिकरण इस करार के अंतर्गत किसी लाभ की पात्रता का निर्धारण करने अथवा उसका भुगतान करने के संबंध में एक दूसरे की सहायता करेंगे जैसा कि वे अपने विधान को लागू करने के लिए करते। सिद्धांत रूप में यह सहायता निशुल्क प्रदान की जाएगी। तथापि, सक्षम प्राधिकारी कुछ खर्च के पुनर्भुगतान के लिए सहमत हो सकते हैं।
2. प्रमाण-पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों जो उस राज्य के विधान के लागू होने के लिए प्रस्तुत किए जाने हैं, के संबंध में एक संविदाकारी राज्य के विधान द्वारा तय किए गए करों, स्टाम्प शुल्क अथवा पंजीकरण अथवा संलेखन शुल्क में छूट अथवा कटौतियों के लाभ अन्य राज्य के विधान के लागू होने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों और ऐसे ही दस्तावेजों पर भी लागू होंगे।
3. वे दस्तावेज और प्रमाण पत्र, जिन्हें इस करार के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत करना जरूरी है, राजनयिक अथवा कोन्सूलर प्राधिकारियों से सत्यापित कराने से छूट होगी और किसी प्रमाणिकरण के बिना, दस्तावेजों की जिन प्रतियों को जिन्हें एक संविदाकारी राज्य के सक्षम अभिकरण द्वारा सत्य और सही प्रति के रूप में प्रमाणित किया हुआ है, उन्हें दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम अभिकरण द्वारा सत्य और सही स्वीकार किया जाएगा।
4. इस करार के कार्यान्वयन के लिए, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी और अभिकरण एक दूसरे के साथ और साथ ही किसी व्यक्ति, चाहे ऐसे व्यक्तियों का निवास कहीं भी हों, के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं। ऐसी बातचीत संविदाकारी राज्यों के सरकारी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी में की जा सकती है। एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी अथवा सक्षम अभिकरणों द्वारा कोई आवेदन अथवा दस्तावेज केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह अन्य संविदाकारी राज्य की सरकारी भाषा में है।

## अनुच्छेद 18

### दावे, नोटिस और अपील

1. जो दावे, नोटिस अथवा अपील संविदाकारी राज्यों में से जो एक के विधान के अनुसार, उस संविदाकारी राज्य के प्राधिकारी अथवा अभिकरण को एक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाने हैं, वे यदि दूसरे संविदाकारी राज्य के प्राधिकारी अथवा अभिकरण को उसी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए गए हैं, तो वे स्वीकार्य हैं। इस मामले में पहले संविदाकारी राज्य के प्राधिकारी अथवा अभिकरण को दावे, नोटिस अथवा अपील, चाहे सीधे ही अथवा संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की मार्फत, अविलम्ब भेजे जाने हैं। वह तारीख जिस दिन ये दावे नोटिस अथवा अपील दूसरे संविदाकारी राज्य के प्राधिकारी अथवा अभिकरण को प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसे दावों, नोटिसों अथवा अपीलों के स्वीकार करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी अथवा अभिकरण को प्रस्तुत करने की तारीख मानी जाएगी।

2. एक संविदाकारी राज्य के विधान के अंतर्गत लाभों के लिए आवेदन, अन्य संविदाकारी राज्य के विधान के अंतर्गत उसी स्वरूप के लाभ के लिए आवेदन भी माना जाएगा। बशर्ते कि आवेदक ऐसा चाहे और यह दर्शाते हुए सूचना उपलब्ध कराये कि उसने अन्य संविदाकारी राज्य के विधान के अंतर्गत बीमा अवधियां पूरी की गई हैं।

## अनुच्छेद 19

### सूचना की गोपनीयता

जब तक कि एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, एक व्यक्ति के बारे में सूचना, जो इस करार के अनुसरण में, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी अथवा अभिकरण द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी अथवा अभिकरण हस्तान्तरित की जाती है, केवल इस करार और विधान जिस पर यह करार लागू होता है, के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाएगी। एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी अथवा अभिकरण द्वारा प्राप्त ऐसी सूचना व्यक्तिगत डाटा की निजता और गोपनीयता के संरक्षण के लिए उस संविदाकारी राज्य के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा प्रशासित होगी।

## अनुच्छेद 20

### अंशदानों का एकत्रण और अदेय लाभों की वसूली

1. संविदाकारी राज्यों में से एक के न्यायालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदानों अथवा करों और अन्य अनुरोधों, विशेष रूप से अदेय लाभों की वसूली पर दिए गए निर्णय दूसरे संविदाकारी राज्य की सीमा में मान्य हैं। निर्णय के साथ एक दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि यह लागू किया जाना है।

2. मान्यता को तभी अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह संविदाकारी राज्य, जिसकी सीमा में निर्णय माना जाना हो, के कानूनी सिद्धांतों के अनुसरण में न हो।
3. कार्यवाहियां, संविदाकारी राज्य, जिसकी सीमा में उन्हें कार्यान्वित किया जाना हो, के ऐसे निर्णयों के कार्यान्वयन को प्रशासित करने वाले विधान के अनुरूप होनी चाहिए।
4. संविदाकारी राज्यों में से एक के अभिकरण को देय अंशदान और सामाजिक कर तथा अदेय लाभ जिनका अभिकरण द्वारा भुगतान कर दिया हो, उसे दूसरे संविदाकारी राज्य की सीमा में, कार्यवाहियों, दिवालिया अथवा चुकता करने के मामले में, संविदाकारी राज्य की सीमा के अंतर्गत वैसे ही दावों के समान वरियता है।
5. एकत्रण और जबरन एकत्रण से संबंधित दावों को वैसी ही गारंटियों और पक्षों द्वारा संरक्षण दिया जाता है जैसे कि संविदाकारी राज्य, जिसमें एकत्रण अथवा जबरन एकत्रण किया जाता है, में स्थित एक अभिकरण के उसी स्वरूप के दावे हों।

### अनुच्छेद 21

#### धोखेबाजी को रोकना

#### आवासीयता पर आधारित सम्बद्धता और पात्रता की शर्तें

1. संविदाकारी राज्य, अपनी-अपनी सीमाओं में आवासीयता के निर्धारण के बारे में अपने विधानों के प्रावधानों से एक दूसरे को सूचित करेंगे।
2. उन शर्तों की जांच करने वाले एक संविदाकारी राज्य के अभिकरण, जिनके अंतर्गत संविदाकारी राज्य की सीमा में आवास के कारण एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अथवा एक लाभ की संबद्धता के कारण आवास का पात्र है, यदि यह अति आवश्यक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह व्यक्ति एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य की संस्था से संपर्क कर सकता है।
3. अभिकरण, जिससे संपर्क किया जाता है, उसके पास उपलब्ध संबंधित सूचना से अवश्य अवगत कराएगा, जो व्यक्ति की आवासीयता के बारे में किसी संदेह को दूर कर सके।

#### आय का मूल्यांकन

4. एक संविदाकारी राज्य, जिसका विधान लागू होता है, का सक्षम अभिकरण, जब यह अति आवश्यक हो, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम अभिकरण से सभी प्रकार के संसाधनों और आय जो व्यक्ति उक्त विधान के अधीन प्राप्त करता हो, के बारे में पूछ सकता है, जिसके आधार पर वह संविदाकारी राज्य यह निर्धारित करेगा कि उस व्यक्ति

को उस संविदाकारी राज्य की सीमा में अंशदानों अथवा सामाजिक करों का भुगतान करना है।

5. पूर्व पैराग्राफ में निहित प्रावधान उसी रूप में लागू होंगे जब सक्षम अभिकरण साधन परख-लाभ के एक व्यक्ति के अधिकार का मूल्यांकन करता है।

## अनुच्छेद 22

### लाभों का भुगतान

1. इस करार के अंतर्गत लाभों का भुगतान किसी भी संविदाकारी राज्य की मुद्रा में किया जा सकता है।
2. ऐसी स्थिति में कि एक संविदाकारी राज्य मुद्रा नियंत्रण अथवा ऐसे ही अन्य उपाय लागू करता है, जिससे ऐसे व्यक्तियों, जो उस संविदाकारी राज्य से बाहर हैं, के भुगतान प्रेषण अथवा निधियों अथवा वित्तीय पत्रों के स्थानान्तरण प्रतिबन्धित होते हों, यह इस करार के अनुसरण में अनुच्छेद 3 में वर्णित व्यक्तियों, जो किसी भी संविदाकारी राज्य अथवा किसी तीसरे राज्य में रहते हैं, को दी जाने वाली किसी राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए अविलम्ब उचित उपाय करेगा।

## अनुच्छेद 23

### विवादों का निपटान

विवाद, जो इस करार की व्याख्या में अथवा इसे लागू करने में उठते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जहां तक संभव हो, निपटाया जाएगा।

## भाग 5

### अंतर्वर्ती और अंतिम प्रावधान

## अनुच्छेद 24

### इस करार के लागू होने से पूर्व की घटनाएं

1. यह करार, इसके लागू होने से पूर्व की घटनाओं पर भी लागू होगा।
2. यह करार, इसके लागू होने से पूर्व की किसी अवधि के लिए लाभों की किसी पात्रता को सृजित नहीं करेगा।

3. इस करार के लागू होने की तारीख से पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक के विधान के अन्तर्गत पूरी की गई सभी बीमा अवधियों को, इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में किसी लाभ की पात्रता निर्धारित करते समय मद्देनजर रखा जाएगा।

4. यह करार उन अधिकारों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अंशदानों के एक मुश्त भुगतान अथवा पुनर्भुगतान द्वारा परिसमाप्त कर दिया गया था।

5. ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें इस करार के लागू होने की तारीख से पूर्व एक संविदाकारी राज्य में भेजा गया था, के मामले में अनुच्छेद 8 लागू करने में, उस अनुच्छेद में उल्लिखित रोजगार की अवधियों पर उस तारीख से शुरू करते हुए विचार किया जाएगा।

### अनुच्छेद 25

#### संशोधन, निर्धारण; अपवर्तन

1. निहित व्यक्ति की राष्ट्रीयता के कारण अथवा उसका आवास किसी संविदाकारी राज्य की सीमा, जिसमें अभिकरण भुगतान के लिए उत्तरदायी है, से बाहर होने के कारण, किसी लाभ का भुगतान नहीं किया गया था अथवा आस्थगित कर दिया गया था, का इस करार के लागू होने पर निहित व्यक्ति के आवेदन करने पर भुगतान किया जाएगा अथवा बहाल किया जाएगा।

2. निहित व्यक्तियों की पात्रता, जिन्होंने इस करार के लागू होने से पूर्व किसी लाभ का भुगतान प्राप्त किया है, उन व्यक्तियों के आवेदन करने पर, इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में संशोधित किया जा सकता है। किसी भी मामले में ऐसे संशोधन से निहित व्यक्तियों की पूर्व पात्रता में कटौती नहीं की जाएगी।

3. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखित आवेदन इस करार के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर किए जाते हैं, इस करार के कार्यान्वयन से उभरने वाली कोई पात्रता उस तारीख से लागू होगी और अधिकारों के अपवर्तन अथवा निर्धारण से संबंधित किसी भी संविदाकारी राज्य का विधान ऐसे निहित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

4. यदि इसके अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखित आवेदन इस करार के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के बाद किए जाते हैं, पात्रताएं जो अपवर्तन अध्याधीन नहीं हैं अथवा जिनका अभी निर्धारण नहीं हुआ है, आवेदन की तारीख से प्राप्त की जाएंगी। बशर्ते कि संबंधित संविदाकारी राज्य के अधिक अनुकूल विधिक प्रावधान लागू न होते हों।

## अनुच्छेद 26

### कार्यकाल

यह करार कार्यकाल की किसी सीमा के बिना सम्पन्न किया गया है। इसे किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा अपने राजनयिक माध्यमों की मार्फत दूसरे राज्य को लिखित रूप में बारह माह का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकता है।

## अनुच्छेद 27

अधिकारों, जो प्राप्त कर लिए गए हैं अथवा अधिग्रहण की अवस्था में हैं, की गारण्टी

इस करार के निरस्त होने की दशा में, इस करार के फलस्वरूप प्राप्त किए गए कोई अधिकार और लाभों का भुगतान बरकरार रहेगा। संविदाकारी राज्य अधिग्रहण की अवस्था में अधिकारों के बारे में प्रबन्ध करेंगे।


## अनुच्छेद 28


### करार का लागू होना

यह करार इस आशय की टिप्पणी, कि दोनों संविदाकारी राज्यों ने एक दूसरे को यह नोटिस दे दिया है कि सभी घरेलू औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, की प्राप्ति की तारीख से तीसरे माह के पहले दिन से लागू होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अद्योहस्ताक्षरियों ने इसके लिए अधिकृत होते हुए, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक 20 सितंबर 1954 को फ्रान्स, पेरिस में अंग्रेजी, फ्रेंच और हिन्दी भाषा की दो-दो प्रतियों में किया गया।

  
कृते भारत गणराज्य  
की सरकार

  
कृते फ्रांस गणराज्य  
की सरकार

**AGREEMENT  
ON SOCIAL SECURITY  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC**

The Government of the Republic of India,

and

The Government of the French Republic

Hereinafter referred to as the Contracting States;

wishing to arrange the mutual relations between the two countries in the field of social security, decided to conclude an Agreement for this-purpose and agreed as follows

**P A R T I**  
**GENERAL PROVISIONS**

Article 1

Definitions

1. For the implementation of this Agreement :
  - a) The term "France" means : the French Republic ; the term "India" means : the Republic of India.
  - b) The term "legislation" means : -
    - for the application of Article 7 the whole social security legislation in force in both Contracting States,
    - for the application of Article 8, the legislation and the regulations specified in Article 2.
  - c) The term "competent authority" means :
    - as regards France : the Ministers, each to the extent that he is responsible for the implementation of the legislation specified in paragraph 1 A) of Article 2 ;
    - as regards India : the Minister of Overseas Indian Affairs . for the implementation of the legislation specified in paragraph 1B ) of Article 2.
  - d) The term "competent agency" means
    - as regards France : the institution, the organization or the authority responsible in full or in part for the implementation of the legislation specified in paragraph 1 A) of Article 2;
    - as regards India : The Employees' Provident Fund Organization (EPFO), for the implementation of the legislation specified in paragraph 1B ) of Article 2.
  - e) The term "Liaison agency" means the agencies specified as such under the Administrative Arrangement
  - f) The term "insurance period" means : any period of contributions or insurance recognized as such in the legislation under which that period was completed, as well as any period recognized as equivalent to a period of contribution or insurance under that legislation.

- g) The term "benefit" means : any pension or benefit in cash, including any supplements or increases applicable under the legislation specified in Article 2.
- h) The term "residence "means: habitual residence.
- i) The term 'territory' means

As regards France: the territory of the metropolitan and overseas departments of the French Republic, including territorial seas, and any area beyond the territorial seas over which the French Republic has sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law.

As regards India: the geographic areas of the Republic of India including territorial seas, as well as the exclusive economic zones over which, in accordance with international law, the Republic of India has sovereign rights.

- 2. Any term not defined in paragraph 1 of this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation.

## Article 2

### Legislative Scope

- 1. This Agreement shall apply :

A) as regards France,

a) to the legislation that determines the general organisation of the social security schemes undermentioned in as much as pension and invalidity insurances are concerned ;

b) to the legislation relating to

i) the old age pension including survivors' pension schemes applicable :

- to the employed persons of the non agricultural professional sector

- to the employed persons of the agricultural professional sector ;

- to the self-employed persons of the non agricultural professional sector excepting the provisions relating to the complementary

pension schemes ;

- to the self-employed persons of the agricultural professional sector
- to the employed persons covered by special schemes unless otherwise provided in this agreement.

ii). to the invalidity insurance including survivors' pension applicable to the persons referred to in sub paragraph i) above.

B) as regards India, to all legislations concerning:

- (i) old-age and survivors' pension for employed persons;
- (ii) the Permanent Total Disability pension for employed persons

2. a). This Agreement shall also apply to all legislations which will amend or extend the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

b). It shall apply to any legislation which will extend the existing schemes to new categories of beneficiaries, unless, in this respect, the Contracting State which has amended its legislation notifies within six months of the official publication of the said legislation the other Contracting State of its objections to the inclusion of such new categories of beneficiaries.

c) This Agreement shall not apply to legislations that establish a new social security branch, unless the competent authorities of the Contracting States agree on this application.

### Article 3 Personal Scope

Unless otherwise specified, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation of either of the Contracting States, and other persons who derive rights from such persons.

### Article 4 Equality of Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons specified

in Article 3, who ordinarily reside in the territory of a Contracting State, shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State in the application of the legislation of that Contracting State as defined in Article 1, b), 1<sup>st</sup> dash.

#### Article 5 Export of Benefits

1. Unless otherwise specified in this Agreement, a Contracting State shall not reduce or modify benefits acquired under its legislation solely on the ground that the beneficiary stays or resides in the territory of the other Contracting State. This provision is not applied to non-contributory benefits which are granted only in the territory of the contracting State responsible for their payment.

2. The old age, survivors' and invalidity benefits due by virtue of the French legislation are paid to the Indian nationals residing in the territory of a third State, under the same conditions as if they were French nationals residing in the territory of such third State.

3. The old-age, survivor's and disability benefits due by virtue of the Indian legislation, are paid to the French nationals residing in the territory of a third State, under the same conditions as if they were Indian nationals residing in the territory of such third State.

#### Article 6 Reduction, suspension or withdrawal Clauses

1. The reduction, suspension or withdrawal clauses provided for in the legislation of one Contracting State, in case of overlapping of social security benefits or in case a benefit coincides with other incomes of any kind, shall be applied to the beneficiaries, even if these benefits were acquired by virtue of a scheme of the other Contracting State, or if the income is gained in the territory of the other Contracting State. However, this provision shall not apply to benefits of the same kind calculated in accordance with Article 12.

2. The reduction, the suspension or withdrawal clauses provided for in the legislation of one Contracting State in case the beneficiary of invalidity benefits or anticipated old age benefits has a professional activity can be applied even though the activity is done in the territory of the other Contracting State.

PART II  
PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 7  
General Provisions

Subject to Articles 8 to 10, the applicable legislation is determined according to the following provisions :

- a) a person who works as an employee in the territory of a Contracting State shall, with respect to that employment, be subject only to the legislation of that Contracting State;
- b) a person who works as a self-employed person in the territory of a Contracting State shall, with respect to that activity, be subject only to the legislation of that Contracting State ;
- c) a person who is a member of the travelling or flying personnel of an enterprise which, for hire or reward or on its own account, operates international transport services for passengers or goods and has its registered office in the territory of a Contracting State shall be subject to the legislation of that Contracting State.
- d) a person who works as an employee on board a ship that flies the flag of a Contracting State, shall be subject to the legislation of that State.

Article 8  
Special Provisions

1. A person who usually pursues an activity as an employed person in a Contracting State on behalf of an employer which normally carries out its activities there and who is posted by that employer to the other Contracting State to perform work on that employer's behalf, shall remain subject to the legislation of the former Contracting State as regards the legislation referred to in Article 2 paragraph 1 A) b i) in respect of France and paragraph 1 B) (i) in respect of India and shall be exempted from paying contributions to the social security schemes under the legislation of the latter Contracting State for the maximum duration of 60 months.

2. Paragraph 1 of this Article shall apply where a person who has been sent by his employer from the territory of one Contracting State to the territory of a third country is subsequently sent by that employer from the territory of the third country to the territory of the

other Contracting State.

#### Article 9

##### Civil Servants, Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

1. Civil servants and equivalent personnel and their family members, if not engaged in any professional activity, are subject to the legislation of the Contracting State whose administration employs them.
2. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

#### Article 10

##### Exceptions to articles 7 to 9

In the interest of certain insured persons or certain categories of insured persons, the competent authorities or agencies designated for this purpose can, by mutual agreement, provide for exceptions to the provisions of Articles 7 to 9 provided that the affected persons shall be subject to the legislation of one of the Contracting States.

**PART III  
PROVISIONS ON BENEFITS**

Article 11  
Totalization of Insurance periods

1. When insurance periods have been completed under the legislation of the two Contracting States, the competent agency of each Contracting State shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, insurance periods under the legislation of the other Contracting State, provided that such insurance periods do not overlap with insurance periods under its legislation.
  
2. If the legislation of either of the Contracting States subordinates the granting of certain old-age or survivors' benefits to the condition that the insurance periods are to be completed under a special scheme or in a given occupation or job, only insurance periods completed under an equivalent scheme or in the same occupation in the other Contracting State shall be totalized for admission to entitlement to these benefits.
  
3. Insurance periods completed under a special scheme of one of the States are taken into account under the general scheme of the other State for the acquisition of the right to benefits provided that the concerned person was affiliated to that scheme, even if these periods were already taken into account by the latter State under a scheme specified in paragraph 2.
  
4. The provisions of the paragraph 2 shall not apply to the French special schemes for civilian and military State civil servants, local government civil servants, hospital civil servants and workers in State industrial plants with regard to entitlement to the special scheme benefits. Nevertheless in order to determine the pension rate the French special schemes of civilian and military State civil servants, local government civil servants, hospital civil servants and workers in State industrial plants shall take into account insurance periods completed pursuant to the Indian legislation when calculating insurance duration completed under one or more other basic and compulsory retirement schemes.
  
5. In relations between the Contracting States the liabilities arising from social security instruments with third states will be taken into account in so far as these instruments determine aggregation of insurance periods for entitlement to pension.

## Article 12

### Calculation of old age, survivor and invalidity Benefits

1. If a person is entitled to an old age, survivor and invalidity benefit under the legislation of one Contracting State without taking into account the insurance periods completed under the legislation of the other Contracting State, the agency of the first Contracting State shall determine the benefits on the basis of the insurance periods completed exclusively under its legislation.

2. That competent agency shall also calculate the amount of old age or survivor's benefit by applying the rules specified in paragraph 3 (a) and (b). Only the higher of the two amounts shall be taken into consideration.

3. If, under the legislation of one Contracting State, a person is entitled to a benefit solely on the basis of the totalization of insurance periods completed under the legislation of the other Contracting State or the third state, if necessary, within the meaning of Article 11, then the competent agency of the first Contracting State:

(a) shall calculate the theoretical amount of the benefit which could have been claimed as if all insurance periods had been completed under its legislation; and

(b) then on the basis of the theoretical amount calculated in accordance with subparagraph (a) - determine the amount of the benefit payable by applying the ratio of the duration of the insurance periods completed under its legislation to the total insurance periods. The total duration shall be limited to the maximum duration, if any, required by the legislation applied by that Contracting State in order to be entitled to a full-rate benefit.

## Article 13

### Periods less than one year

1. If the total duration of insurance periods completed under the legislation of one of the Contracting States is less than one year the relevant institution of this State shall not be required to use totalization provided for in Articles 11 & 12 in order to award a pension. Nevertheless if only these periods are sufficient to be entitled to a pension under this legislation the pension shall be paid on this basis.

2. The periods referred to in paragraph 1 shall yet be taken into account for entitlement and calculation of pension rights under the legislation of the other Contracting State in accordance with the provisions of Articles 11 and 12.

3. Notwithstanding the provisions of the abovementioned paragraphs 1 to 2 in case the periods completed in both contracting States are less than one year they shall be totalised in accordance with Article 11 & 12, if by totalizing the claimant is entitled to benefits under the legislation of one or both of the Contracting States.

#### Article 14

1. If because of the rising cost of living, the variation of the wage levels or other adaptation clauses, the old-age, survivors', invalidity or disability benefits of either Contracting State are changed with a given percentage or amount, that percentage or amount should be directly applied to the old-age, survivors', invalidity or disability benefits of that Contracting State, without the other Contracting State having to proceed to a new calculation of the old-age, survivors', invalidity or disability benefits.

2. On the other hand, in case of modification of the rules or of the computation process with regard to the establishment of the old-age, survivors' or invalidity benefits a new computation shall be performed according to Article 11 & 12.

#### Article 15 Family Benefits

Workers referred to in Article 8 of the agreement shall be entitled in the territory of the State where their occupational activities are carried out to family benefits awarded under the conditions provided for under the legislation of that State.

PART IV  
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 16  
Responsibilities of the Competent Authorities

The competent authorities:

- a) shall take, by means of an administrative arrangement or an agreement the measures required to implement this Agreement, including measures concerning taking into account of insurance periods, and shall designate the liaison agencies and the competent agencies ;
- b) shall define the procedures for mutual administrative assistance, including the sharing of expenses associated with obtaining medical, administrative and other evidence required for the implementation of this Agreement ;
- c) shall directly communicate to each other any information concerning the measures taken for the application of this Agreement ;
- d) shall directly communicate to each other, as soon as possible, all changes in their legislation to the extent that these changes might affect the application of this Agreement.

Article 17

Administrative Collaboration

1. For the implementation of this Agreement, the competent authorities as well as the competent agencies of both Contracting States shall assist each other with regard to the determination of entitlement to, or payment of, any benefit under this Agreement as they would for the application of their own legislation. In principle, this assistance shall be provided free of charge. However, the competent authorities may agree on the reimbursement of some expenses.
2. The benefit of the exemptions or reductions of taxes, of stamp duties or of registration or recording fees provided for by the legislation of one Contracting State in respect of certificates or other documents which must be produced for the application of the legislation of that State shall be extended to certificates and similar documents to be produced for the application of the legislation of the other State.

3. Documents and certificates which must be produced for the implementation of this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities. Copies of documents which are certified as true and exact copies by the competent agency of one Contracting State shall be accepted as true and exact copies by the competent agency of the other Contracting State, without further certification.

4. For the implementation of this Agreement, the competent authorities and agencies of the Contracting States may communicate directly with each other as well as with any person, regardless of the residence of such persons. Such communication may be made in one of the languages used for the official purposes of the Contracting States. An application or document may not be rejected by the competent authority or competent agencies of a Contracting State solely because it is in an official language of the other Contracting State.

#### Article 18 Claims, Notices and Appeals

1. Claims, notices or appeals which, according to the legislation of one of the Contracting States, should have been submitted within a specified period to the competent authority or agency of that Contracting State, are acceptable if they are presented within the same specified period to a competent authority or agency of the other Contracting State. In this case, the Claims, notices or appeals must be sent without delay to the competent authority or agency of the former Contracting State, either directly or through the competent authorities of the Contracting States. The date on which these Claims, notices or appeals have been submitted to a competent authority or agency of the second Contracting State shall be considered to be the date of submission to the competent authority or agency authorized to accept such Claims, notices or appeals.

2. An application for benefits under the legislation of one Contracting State shall be deemed to be also an application for a benefit of same nature under the legislation of the other Contracting State provided that the applicant so wishes and provides information indicating that insurance periods have been completed under the legislation of the other Contracting State.

## Article 19

### Confidentiality of Information

Unless otherwise required by the national laws and regulations of a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to the competent authority or agency of that Contracting State by the competent authority or agency of the other Contracting State shall be used exclusively for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. Such information received by a competent authority or agency of a Contracting State shall be governed by the national laws and regulations of that Contracting State for the protection of privacy and confidentiality of personal data.

## Article 20

### The collection of contributions and the recovery of benefits not due

1. Decisions ruled by a court of one of the Contracting States on Social Security contributions or taxes and on other requests, particularly the recovery of benefits not due, are recognised in the jurisdiction of the other Contracting State. The decision is accompanied by a document certifying that it is enforceable.
2. Recognition can only be refused if it is not in accordance with the legal principles of the Contracting State under the jurisdiction of which the decision must be carried out.
3. Proceedings must be in accordance with the legislation governing the execution of such decisions of the Contracting State under whose jurisdiction they must be executed.
4. The contributions and social taxes payable to and the benefits not due but paid by the competent agency of one of the Contracting State have, in the case of proceedings, bankruptcy or enforced liquidation in the jurisdiction of the other Contracting State, the same priority as equivalent claims under the Contracting State's jurisdiction.
5. Claims subject to collection or enforced collection are protected by the same guarantees and liens as claims of the same nature of a competent agency located in the Contracting State in which the collection or enforced collection takes effect.

## Article 21

### Fraud Prevention

#### *Conditions for affiliation and eligibility based on residency*

1. The Contracting States shall inform each other of provisions in their legislations on the determination of residency in their respective territories.
2. The competent agency of one Contracting State examining the conditions under which a person is entitled to, due to residence in the Contracting State's territory, either affiliation to a Social Security system or to a benefit, may, if it is deemed necessary, contact the competent agency of the other Contracting State in order to ensure that this person is an actual resident in one or the other contracting States.
3. The competent agency which is contacted must provide relevant information in its possession which could clear up any doubt on the person's residency.

#### *Assessment of income*

4. The Competent agency of a Contracting State whose legislation is applicable may, when it is deemed necessary, ask the competent agency of the other Contracting State about resources and income of all kinds, which a person subject to the said legislation and therefore liable to pay contributions or social taxes, may be entitled to in the territory of that Contracting State.
5. The provisions in the first paragraph apply in the same way when the Competent agency assesses a person's right to a means-tested benefit.

## Article 22

### Payment of Benefits

1. Payments of benefits under this Agreement may be made in the currency of either Contracting State.
2. In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittance or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside that Contracting State, it shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement to persons

described in Article 3 who reside in the other Contracting State or a third State.

Article 23  
Resolution of Disputes

Disputes which arise in interpreting or applying this Agreement shall be resolved, to the extent possible, by the competent authorities.

## PART V

### TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

#### Article 24

##### Events prior to the entry into force of the Agreement

1. This Agreement shall also apply to events which occurred prior to its entry into force.
2. This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.
3. All insurance periods completed under the legislation of one of the Contracting States prior to the date on which this Agreement enters into force shall be taken into consideration in determining entitlement to any benefit in accordance with the provisions of this Agreement.
4. This Agreement shall not apply to rights that were liquidated by the granting of a lump sum payment or the reimbursement of contributions.
5. In applying Article 8 in case of persons who were sent to a Contracting State prior to the date of entry into force of this Agreement, the periods of employment referred to in that Article shall be considered to begin on that date.

#### Article 25

##### Revision, prescription, forfeiture

1. Any benefit that was not paid or that was suspended by reason of the nationality of the interested person or by reason of his residence in the territory of a Contracting State other than that in which the competent agency responsible for payment is located, shall, on application by the interested person, be paid or restored from the entry into force of this Agreement.
2. The entitlement of interested persons who, prior to the entry into force of this Agreement, obtained the payment of a benefit may be revised upon application by those persons, in accordance with the provisions of this Agreement. In no case shall such a revision result in a reduction of the prior entitlement of the interested persons.
3. If the application referred to in paragraph 1 or 2 of this Article

is made within two years of the date of the entry into force of this Agreement, any entitlement arising from the implementation of this Agreement shall be effective from that date, and the legislation of either Contracting State concerning the forfeiture or the prescription of rights shall not be applicable to such interested persons.

4. If the application referred to in paragraph 1 or 2 of this Article is made after two years following the entry into force of this Agreement, the entitlements which are not subject to forfeiture or which are not yet prescribed shall be acquired from the date of the application, unless more favourable legislative provisions of the Contracting State concerned are applicable.

#### Article 26

##### Duration

This Agreement is concluded without any limitation on its duration. It may be terminated by either Contracting state, through diplomatic channels, giving twelve months' notice in writing to the other State.

#### Article 27

##### Guarantee of rights that are acquired or in the course of acquisition

In the event of termination of this Agreement, any rights and payment of benefits acquired by virtue of the Agreement shall be maintained. The Contracting States shall make arrangements regarding the rights in the course of acquisition.

#### Article 28

##### Entry into Force

The Contracting States shall notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their respective constitutional and legal procedures required for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the date of receipt of the last notification.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

30<sup>th</sup> September, 2008

DONE at Paris, on the 30<sup>th</sup> September, 2008, in duplicate in the English, French and Hindi languages, all three texts being equally authentic.

*S. Nathani*

**FOR GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDIA:**

*O. K. Acharya*

**FOR THE GOVERNMENT  
OF THE FRENCH REPUBLIC:**